

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर
क्रमांक: प.10(क)(चुनाव)()/स्वा0शा0वि/16/493

दिनांक: 2/8/17

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका, महवा के सीमा क्षेत्र से निम्नांकित ग्रामों के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को एतद्वारा पृथक किया जाता है :-

1. धन्तूरी	2. नयागांव	3. बरीतकी	4. हडिया	5 अलापुर
6. पाली	7 अमोलकनगर	8. मोटूका	9 विराना	10. अकबरपुर

इसके अतिरिक्त ग्राम ठेकडा, रामगढ़ व शहदपुर के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में से निम्नांकित खसरा नम्बरों के सीमा क्षेत्र को नगर पालिका, महवा की सीमा से एतद्वारा पृथक किया जाता है:-

01. ग्राम ठेकडा के पृथक किए जाने वाले खसरा नम्बर :- 398, 398/547, 449/561, 449/967, 449/968, 450/560, 450/969, 450/970, 451/971, 451/972, 452 से 466, 467/973, 467/974, 468 से 479, 480/1057, 480/1058, 480/975, 480/976, 481, 482, 483/978, 483/979, 483/980, 484 से 486, 487/981, 487/982, 487/983, 488 से 491, 492/984, 492/985, 493, 494, 495/1063, 495/521, 495/986, 496 से 499, 500/820, 500/821, 500/822, 501/823, 502/824, 502/825, 503 से 505, 1/681, 1/682, 2/683, 2/384, 3/685, 3/686, 5/689, 5/690, 6/691, 6/692, 7/693, 7/694, 8/695, 8/696, 9, 10/697, 10/698, 11, 12/699, 12/700, 45, 45/523, 45/566, 45/605, 46/567, 46/832, 46/833, 46/831, 47, 47/522, 47/568, 47/604, 48/835, 48/836, 49, 50/837, 50/838, 50/839, 51 से 53, 53/509, 53/601, 54 से 61, 61/569, 62, 62/570, 63, 63/571, 64, 64/840, 64/841, 64/842, 65 से 70, 70/573, 71, 71/574, 72 से 86, 87/510, 87/575, 88, 89, 89/576, 90, 90/577, 91 से 114, 114/511, 115 से 119, 120/997, 120/998, 121/1000, 121/999, 122/1001, 122/1002, 123, 124, 124/533, 124/578, 124/606, 125, 125/512, 126, 126/579, 127 से 131, 131/535, 131/580, 132, 132/536, 132/581, 133, 133/537, 134, 134/582, 135, 135/513, 135/602, 136, 136/583, 137, 137/584, 138 से 150, 150/585, 151, 151/586, 152, 152/514, 152/587, 152/603, 153, 154, 154/588, 155/589, 155/843, 155/844, 156/590, 156/845, 156/846, 156/847, 156/848, 156/849, 157/525, 157/526, 157/527, 157/538, 157/702, 157/703, 157/704, 158 से 166, 166/540, 167/541, 167/850, 167/851, 168, 168/542, 169 से 178, 178/531, 178/532, 179 से 194, 194/534, 195, 196/1003, 196/1004, 196/1005, 197, 200/709, 200/710, 201, 202, 209, 210, 220 से 225, 226/723, 226/724, 226/225, 227 से 243, 244/861, 244/862, 244/863, 245/864, 245/865, 245/866, 246 से 275, 276/867, 276/868, 277/869, 277/870, 278 से 295, 296/871, 296/872, 296/873, 297 से 305, 143/539, 435, 435/553, 436 से 440, 440/560, 441/555, 441/957, 441/958, 442/959, 442/960, 443, 443/554, 444/557, 444/961, 444/962, 445/524, 445/556, 445/963, 445/964 कुल खसरा संख्या 448 कुल क्षेत्रफल 101.601 हैक्टेयर।

02. ग्राम रामगढ - के पृथक किए जाने वाले खसरा नम्बर :- 81, 81/1128, 81/1151, 51/1152, 82, 83, 84/1, 84/1320, 85 से 87 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90, 90/1150, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 93, 93/1254, 94, 94/1149, 94/1255, 95/1, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 99/1, 99/2, 100, 101/1, 102/2, 109/1172, 111 से 119, 120/1323, 120/1324, 120/1333, 121, 122/1, 122/2, 123, 123 से 125, 125/1330, 125/1331, 125/1332, 125/1334, 125/1335, 126 से 128, 129/1306, 129, 129/1307, 130/1294, 130/1295, 130/1296, 130/1297, 130/1298, 131, 132/1299, 132/1300, 132/1301, 132/1302, 132/1303, 133, 133/1240, 134, 135/1, 135/2, 136/1, 136/2, 137, 137/1211, 138 से 140, 197 से 199, 201 से 205, 221 से 226, 238 से 249, 250/1282, 250/1283, 250/1284, 251 से 269, 269/1, 269/1229, 269/1238, 269/1239, 269/2, 270 से 273, 274/1, 274/2, 275 से 291, 292/1, 292/2, 293 से 298, 298/1230, 299, 299/1129, 299/1210, 300 से 340, 340/1161, 341 से 382, 382/1138, 383 से 388, 388/1139, 389 से 403, 403/1135, 404 से 407, 408/1318, 409 से 427, 427/1156, 427/1178, 428, 428/1157, 429 से 451, 452/1311, 452/1312, 453 से 462, 462/1163, 463 से 470, 470/1140, 471 से 552, 552/1141, 553 से 575, 575/1173, 576 से 578, 578/1166, 578/1246, 578/1247, 578/1248, 579 से 617, 617/1220, 618 से 620, 620/1144, 621 से 623, 623/1143, 624 से 675, 675/1145, 675/1179, 676 से 695, 695/1146, 696 से 706, 706/1160, 707 से 720, 720/1148, 721 से 727, 278/1, 278/2, 729 से 743, 743/1288, 743/1290, 744 से 773, 774/1, 774/2, 775/1, 775/2, 776/1, 776/2, 776/3, 777/1, 777/2, 778/1, 778/2, 779 से 786, 787/1, 787/2, 788/1, 788/2, 789 से 794, 794/1287, 794/1289, 794/1322, 795 से 825, 825/1159, 826 से 833, 833/1158, 834, 834/1164, 835 से 846, 846/1137, 847 से 866, 866/1162, 867 से 874, 874/1136, 874/1214, 875 से 877, 877/1253, 878, 878/1202, 878/1260, 879, 880, 880/1259, 881, 881/1188, 881/1242, 882 से 897, 897/1186, 898 से 912, 912/1212, 912/1228, 913 से 917, 917/1133, 918 से 933, 934/1, 934/1264, 940 से 947, 970, 970/1193, 970/1233, 970/1245, 971, 971/1194, 971/1195, 971/1201, 971/1204, 971/1232, 972/1196, 972/1205, 973, 973/1206, 974 से 979, 979/1197, 979/1198, 979/1207, 980 से 983, 1030 से 1040, 1040/1147, 1040/1268, 1040/1270, 1040/1269, 1041, 1041/1265, 1041/1266, 1041/1267, 1042 से 1044, 1074 से 1077, 1077/1131, 1077/1132, 1077/1185, 1079 से 1091, 1091/1190, 1091/1191, 1092, 1092/1187, 1082/1192, 1093 से 1099, 1100 से 1104 कुल खसरा संख्या 970 कुल क्षेत्रफल 279.69 हैक्टेयर।

03. ग्राम शहदपुर - के पृथक किए जाने वाले खसरा नम्बर :- 1 से 7, 7/518, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 9/537, 10, 11, 11/509, 12, 12/510, 13, 13/511, 14 से 19, 19/487, 20, 20/502, 21 से 25, 25/469, 25/489, 25/519, 26, 27, 27/470, 28, 28/456, 28/490, 29, 29/457, 30 से 40, 40/593, 41 से 48, 48/517, 49 से 63, 63/472, 64, 65, 65/468, 66 से 82, 82/1, 83 से 92, 92/673, 93 से 99, 99/533, 100, 100/503, 100/502, 101, 101/504, 101/523, 101/532, 101/580, 102, 102/505, 102/524, 103, 103/535, 104, 104/506, 105 से 147, 147/512, 148 से 154, 154/486, 155 से 165, 165/594, 165/595, 166, 166/464, 167, 168, 168/513, 169, 169/514, 170 से 174, 174/515, 175 से 178, 178/454, 179 से 189, 189/478, 190 से 192, 192/596, 193, 193/327, 194 से 198, 198/479, 199, 199/488, 200, 200/520, 202, 255 से 259, 259/463, 259/525, 260, 260/507, 260/526, 261 से 265, 265/466, 266 से 275, 275/459, 275/461, 275/462,

276, 277, 277/455, 277/476, 277/492, 278 से 286, 286/569, 287 से 296, 297/1, 297/2, 298 से 301, 301/458, 302/1, 302/2, 303 से 310, 311/1, 311/2, 311/3, 312 से 321, 322/663, 322/664, 323/1, 323/2, 342, 345, 346, 348, 349, 352, 383/483, 201, 302/3 कुल खसरा संख्या 345 कुल क्षेत्रफल 127.69 हैक्टेयर।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.10(क)(चुनाव)()/स्वा0शा0वि/16/494 to 560 दिनांक: 2/0/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग/पंचायत राज विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, राज्य वित्त आयोग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
8. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर को नवगठित नगरपालिका, महवा के सीमा क्षेत्र में से ग्राम धन्तूरी, नयागांव, बरीतकी, हडिया, अलापुर, पाली, अमोलकनगर, मोटूका, बिराना, व अकबरपुर के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र एवं ग्राम टेकडा, रामगढ व शहदपुर के इस अधिसूचना में वर्णित खसरा नम्बरो के सीमा क्षेत्र को ग्राम पंचायत सीमा में सम्मिलित करने की नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है।
9. निदेशक, जनगणना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान, जयपुर।
12. जिला कलक्टर, दौसा को भेजकर निवेदन है कि इस अधिसूचना के अनुरूप नगर पालिका महवा की सीमा क्षेत्र का चतुर्थ सीमा विवरण मय नक्शा ब्लूप्रिन्ट तीन प्रतियों में भिजवाने का श्रम करावे।
13. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज., जयपुर को भेजकर लेख है कि राज. राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन कराया जाकर विभाग को 50 प्रति भिजवाने का श्रम करें।
14. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय।
15. उपनिदेशक (क्षेत्रीय)स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान, जयपुर।
16. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, महवा।
17. सरपंच / सचिव, ग्राम धन्तूरी, नयागांव, बरीतकी, हडिया, अलापुर, पाली, अमोलकनगर, मोटूका, बिराना, अकबरपुर, टेकडा, रामगढ व शहदपुर।
18. नोडल अधिकारी, वेबसाईड, निदेशालय को वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
19. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी